कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ (म0प्र0)

-::विज्ञप्ति::-

सर्वसाधारण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय टीकमगढ़ के प्रतिलिपि अनुभाग में प्रायवेट फोटो कापियर मशीन स्थापित किया जाना है।

अतः इस विज्ञप्ति की निविदा शर्तो के अधीन जो संस्था या व्यक्ति इस स्थापना पर फोटो कापियर मशीन स्थापित किये जाने हेतु इच्छुक हो वे कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ में कार्यदिवस के दौरान निविदाओं की आवश्यक शर्तो की जानकारी प्राप्त कर शर्तो के अनुसार अपना आवेदन पत्र विज्ञप्ति प्रसारित होने के दिनांक से 15 दिनों के अंदर जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्य दिवस पर जमा कर सकते हैं।

इस हेतु विस्तृत विवरण कार्यालय से कार्यालयीन समय में प्राप्त किया जा सकता है एवं मध्यप्रदेश उच्च न्यांयालय जबलपुर की अधिकारिक बेबसाइट **www.mphc.gov.in** पर भी देखा जा सकता है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
टीकमगढ़ (म0प्र0)

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ (म0प्र0)
जिला न्यायालय में प्रतिलिपि कार्य के लिए शर्ते

1. एक बंद लिफाफे में सीलबंद निविदा पूर्ण रूप से भरी हुई 10,000/- (दस हजार रूपये) की बैंक ग्यारन्टी के साथ जो कि एफ.डी.आर. या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में हो एवं 6 माह की अवधि के लिए वैद्य हो जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला न्यायालय, टीकमगढ़ में आवश्यक रूप से दिनांक 16/11/2016 को प्रातः 12:00 बजे तक जमा हो जानी चाहिए। अपूर्ण/सशर्त/देरी से प्रस्तुत निविदा अथवा बिना बयाने की राशि के अथवा बिना किसी कर/ लागत के समावेश, की निविदाऐं निरस्त की जावेगी।

2. निविदाएं दिनांक 16/11/2016 को समय साय 05:00 बजे पर उन सभी उपस्थित व्यक्तियों जिन्होंने निविदाए प्रस्तुत की है अगर उपस्थित हो तो उनके समक्ष खोली जावेंगी। निविदा की नियम, शर्तो एवं दरों में कोई कांटछांट, परिवर्तन या सुधार नहीं होना चाहिये। सभी प्रारूप/संलग्नक-1 हस्ताक्षरित होना चाहिए एवं उस पर संस्था की सील होना चाहिए।

3. जिसकी निविदा चुनी जावेगी उसे संस्वीकृति पत्र के प्राप्त होने के 15 दिवस में परफारमेन्स ग्यारंटी के रूप में 5 प्रतिशत संभावित अनुबंध राशि की बैंक ग्यारंटी एफ0डी0आर0/अकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पक्ष में देनी होगी। परफारमेंस सुरक्षा निधि अनुबंध के समाप्त होने के दिन से 60 दिनों के लिये वैद्य होगी जिसमें वारंटी/त्रुटि उत्तरदायित्व, यदि हो, भी शामिल होंगे।

4. संस्था द्वारा प्रतिलिपि प्रति कापी की दर के हिसाब से समस्त करों एवं शासकीय देयताऐं को सम्मिलित कर प्रदाय की जावेगी। एक पेज के एक तरफ की प्रति/एक पेज के दोनों तरफ की प्रति दोनों के लिए पृथक से दर आवश्यक रूप से दर्शायी जानी चाहिए।

5. फोटोकापी मशीन जिला न्यायालय के परिसर में उसके निर्देशानुसार स्थापित करनी होगी। कार्यालयीन समय में फोटोकापी मशीन की उपलब्धता को ठेकेदार (Contractor) को सुनिश्चित करना होगी।

6. दर का अनुबंध, दर अनुबंध/कार्य आदेश की अधिसूचना दिनांक से कम से कम एक वर्ष के लिये वैद्य होगा। सेवा में संतुष्टि के आधार पर अनुबंध का समय प्रतिवर्ष के हिसाब से समान नियम एवं शर्तो पर प्रतिवर्ष अधिकतम तीन वर्ष तक की अवधि के लिये बढ़ाया जा सकता है।

7. कोई अग्रिम संदाय नहीं किया जावेगा। अनुबंध की अवधि में दरों में परिवर्धन नहीं किया जावेगा एवं नियमानुसार कर काटा जावेगा। सिर्फ संवैधानिक कर देयताओं, जो कि शासन द्वारा अधिसूचना/नियमों के द्वारा परिवर्तित किया जाता है को छोड़कर अनुबंध की अवधि में दर की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा अतः संस्था जो कि निर्धारित राशि एक वर्ष के लिये प्रभावी रख सके वही आवेदन करे।

16. जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अनुमति के बिना उपपट्टे (subcontracting) को अमान्य किया जावेगा।

17. अनुबंध के निष्पादन के दौरान यदि किसी की मृत्यु या दुर्घटना अथवा भौतिक संपत्ति की हानि होती है तो दी गई छुट के अतिरिक्त समस्त जवाबदायरी ठेकेदार (Contractor) की होगी।

18. जिला न्यायालय द्वारा केवल विद्युत एवं खाली जगह की सुविधा ठेकेदार (Contractor) को बिना किसी शुल्क के प्रदाय करेगा इसके अतिरिक्त अन्य कोई सुविधा प्रदाय नहीं की जावेगी।

19. जिला एवं सत्र न्यायाधीश या ठेकेदार (Contractor) एक माह पूर्व सूचना देकर अनुबंध को समाप्त कर सकते है यदि कोई भी एक अनुबंध की शर्त का उल्लंघन करता है।

20. ठेकेदार (Contractor) या उसके स्टॉफ के किसी सदस्य के द्वारा जानबुझकर या अन्यथा कार्य की गुणवत्ता मे काई गंभीर त्रुटि की जाने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को उस पर पेनल्टी अधिरोपित करने का अधिकार होगा।

21. यदि जिला एवं सत्र न्यायाधीश दी जाने वाली सेवा की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं है या ठेकेदार (Contractor) या उसके किसी कर्मचारी के व्यवहार से संतुष्ट नहीं है तो वे 24 घण्टे के अंदर उसमें सुधार करने का नोटिस उसे दे सकते है और जिला एवं सत्र न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि वे उस पर पेनल्टी अधिरोपित करने के साथ उचित कदम उठा सकते हैं।

22. जिला एव सत्र न्यायाधीश केवल ठेकेदार (Contractor) द्वारा की गई फोटोकापी का ही मूल्य अदा करेंगे। यदि अनुबंध की किसी शर्त का उल्लंखन होता है या दिया गया कार्य पूर्ण नहीं होता है तो अनुबंध में वर्णित अन्य उपचार को सुरक्षित रखते हुए 500/- रूपये प्रति घटना/प्रतिदिन के हिसाब से लंबित बिलों से अनुबंध राशि की अधिकतम 10 प्रतिशत राशि काटी जा सकेगी। तथा उसे उसके कार्य का मूल्य देने से इंकार भी किया जा सकेगा यदि पृष्ठ या प्रिंटिंग संतोषजनक न हो।

23. अनुबंध का निष्पादन ठेकेदार (Contractor) की जिम्मेदारी है और स्थल पर कार्य की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी होगी।

24. अनुबंध के दौरान केन्द्र सरकार और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्मित तथा भविष्य में अधिसूचना द्वारा श्रम अधिनियम के अंतर्गत पारित किये जाने वाले समस्त नियम अधिनियमों का अनुबंधकर्ता पूर्ण समय पालन करेगा। यदि ठेकेदार (Contractor) के विरूद्ध समक्ष प्राधिकारी द्वारा उसके कार्य से किसी नियम या अधिसूचना द्वारा संशोधित अधिनियम का

OFFICE OF THE DISTRICT & SESSIONS JUDGE, TIKAMGARH (M.P.)

//ANNEXURE-1//

LIMITED TENDER PERFOMA FOR OUTSORUCE PHOTOCOPY WORK

1- Rate Quotation of the Tender (INCUSIVE OF ALL TAXES):

S.No	particulars	Rate per copy with paper (A-4 size j.k/orient/bilt matrix boand paper,75 gsm)	Rate per copy with (lagal size of j.k/orient/bilt matrix boand paper,75 gsm paper)
1-	Single side photocopy on one sheet		
2-	photocopy on back to back side on one sheet		

2- Machine Model No. and Make ____________________

3- Earnest money details

____________ **date** ____________ **for**

Rs. 10000/- Name of bank ____________________

4- PAN No. ____________________

5- TIN No. ____________________

The terms and conditions of the tender are acceptable to me/us.

Signature ____________________

Name & Address with seal & date ____________________

____

____

____

phone (O) ____________________

(M) ____________________

(R) ____________________